# <u>प्रेस नोट</u>

**पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 13.09.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः**

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/26 धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त शीवेन्द्र सिंह पाल उर्फ नितिन पाल पुत्र विजय सिंह पाल उर्फ बबलू पाल निवासी यूपीएसआईडीसी नवीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात (वांछित-25,000 रु0 पुरुष्कार घोषित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 291/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उपेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र दिनेश सिंह निवासी नगर पालिका रोड मोहल्ला सुभाष नगर पुखरांया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 180/19 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त भल्लू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम भलाईखुर्द थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 293/26 धारा 305ई/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शीलू पुत्र कल्लू व 2. सोनू पुत्र लज्जाराम निवासीगण कंजड़ डेरा कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 313/26 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बालअपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम हांसेमऊ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, के कब्जे से 22 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 302/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना शिवली पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।